झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या....58....... वर्ष 20..23...

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री संजय कुमार साहु
वर्तमान पता - टाटी सिल्वे, राँची

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-वि० अनु० पदा०, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग

कैम्प कार्यालय, राँची।

वाद सं0–58/2023

आज दिनांक–05.10.2023 को राँची परिसदन भवन में जन सुंनवाई के दौरान शिकायतकर्ता, श्री संजय कुमार साहु, (ग्राम–मसरातु, हजारीबाग), वर्तमान पता–टाटीसिलवे, राँची ने उपस्थित होकर कहा कि वे हजारीबाग के निवासी हैं एवं उनका राशन कार्ड आधार नं0 से लिंक है। वे ONORC के तहत् राँची के राशन डीलर से राशन का उठाव करना चाह रहे थे, लेकिन डीलर ने राशन देने से मना कर दिया। तत्पश्चात् शिकायतकर्ता ने विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित आयोग को भी शिकायत दर्ज कराई है। आयोग में दर्ज कराये गये शिकायत की प्रति दिनांक–01.12.2022 को सदस्य सचिव, आयोग द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, राँची को भेजा गया। जनसुनवाई में उपस्थित अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का कहना है कि उन्होंने दिनांक–15.06.2023 को विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन अग्रेसित करते हुए समाधान के लिये लिखा है। बावजूद इसके शिकायतकर्ता के शिकायत का निवारण नहीं किया गया, जैसा कि शिकायतकर्ता का कहना है। आयोग यह मानता है कि ऐसी परिस्थिति यह प्रमाणित कर रहा है कि ONORC योजना के तहत् जो लाभ लाभुकों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है एवं इसके लिये विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी दोषी हैं।

आयोग विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को निर्देश देता है कि वे पूरे जिले के सभी राशन डीलरों को ONORC योजना से सम्बन्धित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएँ, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं हो। आयोग विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लापरवाही का खामियाजा लाभुक को भुगतने नहीं दे सकता है। ऐसे में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि लाभुक श्री संजय कुमार साहु द्वारा जिस दिन पहला आवेदन दिया गया, उस दिन से अब तक मुआवजा सहित उन्हें राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण 07 दिनों के अन्दर आयोग को प्रेषित करें। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आज के आदेश का अनुपालन में यदि विफल रहे, तो आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उनके विरूद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करने को बाध्य होगा। इस वाद को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करते हुए दिनांक–31.10.2023 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाती है। दिनांक–31.10.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)	(हिमांशु शेखर चौधरी)
सदस्य,	अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।	राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx64

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
31.10.2023	**वाद सं0–58/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री संजय कुमार साहु, वर्तमान पता–टाटी सिल्वे, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री सौरभ सिन्हा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नामकुम, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के प्रतिनिधि के तौर पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नामकुम उपस्थित है। शिकायतकर्त्ता का कहना है कि उन्हें उनके बकाया 300 कि0ग्रा0 अनाज की जगह मात्र 52 कि0ग्रा0 अनाज उपलब्ध कराया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को प्रेषित अपने प्रतिवेदन में भी सिर्फ इस बात का उल्लेख किया है कि शिकायतकर्त्ता को 52 कि0ग्रा0 अनाज उपलब्ध कराया गया है। आयोग इसे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची की घोर लापरवाही मानता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को इस बात का उल्लेख करना चाहिये था कि शिकायतकर्त्ता को 52 कि0ग्रा0 अनाज कितने माह का उपलब्ध कराया गया है। आयोग को शिकायतकर्त्ता द्वारा समर्पित उपलब्ध नहीं कराये गये अनाज की विवरणी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नामकुम को उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिया जाता है कि वो जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को यह विवरणी उपलब्ध करा दें, और शिकायतकर्त्ता को जितने दिनों का अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। उतने दिनों और उतनी मात्रा और शेष बची मात्रा का अनाज उपलब्ध करा कर ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण अगले सुनवाई में प्रस्तुत करें। आयोग के आज के आदेश के अनुपालन का प्रमाण यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची ने अगली सुनवाई में आयोग को प्रस्तुत नहीं किया तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। G:\Rachana jsfc\Court order.docx11	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–58 / 2023

17.11.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री संजय कुमार साहु, वर्तमान पता–टाटी सिलवे, जिला–राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री सौरभ सिन्हा, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित।

शिकायतकर्ता और प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नामकोम, श्री सौरभ सिन्हा, व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हैं। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आयोग के पिछले आदेश के आलोक में उन्हें दो दिन पूर्व जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि आयोग के आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता को बकाया राशन उपलब्ध करा दिया जाए। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि उन्होंने शिकायतकर्ता से संपर्क किया, शिकायतकर्ता शहर से बाहर थे, अतः उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

आयोग शिकायतकर्ता और प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे दोनों आपसी सहमति बना कर तिथि निर्धारित कर लें और निर्धारित तिथि को बकाया राशन उपलब्ध करा दें। चूंकि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी आयोग के आदेश के अनुपालन कर दिये जाने के प्रति आश्वस्त कर रहे हैं। अतः उनके आश्वासन के आधार पर आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। लेकिन यदि शिकायतकर्ता ने भविष्य में आयोग के आज के आदेश के अनुपालन नहीं किये जाने के संदर्भ की शिकायत की, तो आयोग इस वाद की सुनवाई पुनः प्रारंभ कर सकता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx130